अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः–256/2013

रामबहादुर खतवे वगैरह –– अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद राम बहादुर खतवे, लखन खतवे, दोनों–पिता स्व0 नवाजी खतवे, ग्राम– ललमनियाँ टोला– नरही, थाना– मरौना, जिला– सुपौल द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 113/12–13 लखन खतवे वगैरह बनाम झमेली खतवे वगैरह में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली, सुपौल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

अपीलार्थी अपने अपील आवेदन में कथन किया है कि विज्ञ भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली के समक्ष दिनांकः 25.09.12 को विपक्षी संख्याः 2 के विरूद्ध निम्नांकित विवादित भूमि के लिए भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 113/12–13 दाखिल किया गया तथा जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत् भूमि निम्नांकित विवरण के अनुसार मौजाः ललमनियाँ एवं मौजाः बेलही, थानाः मरौना, जिलाः सुपौल अंतर्गत अवस्थित है।

मौजाः ललमनियाँ

खाता	खेसरा	रकवा
272	2399	0.9.2 धुर

2404	0.3.14	
1129	0.12.11	
1250	0.5.0	
1553	0.6.7	
1590	0.9.6	
2389	0.5.7	
2411	0.4.3	
2469	0.11.17	
2472	0.5.0	
2456	0.10.0	
2471	0.9.4	
	4.11.11 धुर	

मौजाः बेलही

खाता	खेसरा	रकवा
226	2702	0.5.0 धुर
	2728	0.1.14
	2752	1.6.03
	2760	0.8.12
		2.1.9 धुर

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी माननीय विज्ञ निम्न न्यायालय में प्रथम पक्ष एवं प्रतिवादी संख्याः 2 द्वितीय पक्ष थे। प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थी के दादा भिखारी खतवे की खतियानी जमीन थी एवम राज दरभंगा से मुटेशन प्राप्त करने के उपरांत प्रश्नगत् भूमि पर दखल कायम हुआ एवम जमाबंदी भी भिखारी खतवे के नाम से है। दादा की मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज प्रश्नगत् भूमि के स्वामित्व में आये। सम्यक् जाँचोपरांत मौजाः बेलही के अंतर्गत प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी संख्याः 234 अपीलार्थी के दादा भिखारी खतवे के नाम से कायम हुई, एवं वही जमाबंदी संख्याः 234 बिहार सरकार के सिरिस्ता में भी चली आ रही है।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि मौजा ललमनियाँ अंन्तर्गत भूमि राज दरभंगा की थी एवं उनके मुटेशन रिटर्न के आधार पर सिरिस्ता बिहार सरकार में अपीलार्थी के दादा भिखारी खतवे के नाम से जमाबंदी संख्या 152 कायम हुई। हाल सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के दादा भीखारी खतवे के नाम से दर्ज है। विपक्षी संख्या –2 द्वारा टाईटिल सूट संख्या 18/01 दायर किया गया जिसे दिनांक 30.08.2009 को खारिज कर दिया गया एवं सुनियोजित षडयंत्र के तहत उपरोक्त प्रश्नगत् भूमि पर कब्जा करने की योजना बनाई एवं विवादित प्रश्नगत् भूमि से संबंधित जाली दस्तावेज तैयार किया गया एवं अपने नाम से जमाबंदी संख्या 1539–40,

1087, 2075, 2157 कायम कराया जो कि स्थल पर विवाद का मुख्य कारण है जिसके कारण अपीलार्थी न्यायालय के शरण में आये।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रश्नगत् भूमि से संबंधित कागजात विज्ञ निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया परन्तु विज्ञ निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त कागजात पर कोई विचार नहीं किया गया एवं इसका जिक्र भी दिनांकः 20.03.2013 को पारित आदेश में नहीं किया गया है।

वाद को पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि अपीलार्थी के अपील आवेदन में समुचित तथ्यों का अभाव है अतएवं अपील आवेदन नामांकन स्तर पर ही खारिज किया जाता है इसके साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/9/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/9/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा